an>

Title: Need to extempt Gujarat Safai Karamchari Vikas Nigam from Income Tax Act, 1961.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः गुजरात सरकार के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10(26बी) आई.टी. एक्ट-1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट का मामला अभी तक विवाद में फंसा हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है, लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर टैक्स लगा दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं।

गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले। गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को विशेष तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों में लगे लोगों के उत्थान और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था। गुजरात सफाई कामगारों की नियुक्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएं केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को बिना किसी शर्त के आयकर मुक्त किया जाए।